>

Title: Need to rescind the provision of proposed land ceiling on irrigated and non-irrigated land owned by farmers in draft National Land Reforms Policy.

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर सर्कूलर के माध्यम से राज्य सरकारों से राय मांगी गई है कि देश में 15 एकड़ वाली असिंचित भूमि एवं 10 एकड़ सिंचित भूमि से ज्यादा एक परिवार के पास है तो सरकार द्वारा सीलिंग एक्ट के अंतर्गत उस जमीन का अधिग्रहण किया जाए जिसके कारण किसानों में बेचैनी एवं चिंता है । देश का किसान अपना निवेश भूमि पर ज्यादा करता है जिससे कि उनके बच्चों को अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हो सके अगर एक किसान के पास दस एकड़ भूमि है तो अपने दो बेटों को पांच एकड़ भूमि दे पाएगा इससे किसान और भूमि को खरीदता है जिससे अपने दो बेटों को दस दस एकड़ जमीन दे सके । सरकार के इस कानून से किसानों में आक्रोश है । सरकार का यह प्रयास देश के विकास एवं निवेश भावना के अनुकूल नहीं है । क्या इस प्रस्तावित कानून को सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर लागू करेगी जिनके पास कई सौ एकड़ भूमि है । भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस प्रस्तावित कानून से लोग अपनी फालतू जमीन को बेचने में लग गये हैं जिसके कारण जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय में अनियमितताएं भी फैल रही हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित कानून के संबंध में राज्य सरकार से जो राय मांगी गई है उसको बंद किया जाये जिससे किसानों में व्याप्त हताशा को रोका जा सके।